**निर्वाचन/तत्काल**
**कैम्प बैग द्वारा**

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर//2017/खण्ड-1 दिनांक: 4 मार्च, 2017

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
1. उत्तराखण्ड
2. उत्तर प्रदेश

**विषय: गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन-एग्जिट पोल- तत्संबंधी।**

महोदय,

आयोग के दिनांक 27-01-2017 की अधिसूचना सं.576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर//2017/खण्ड-1 के अनुक्रम में,मुझे आयोग की दिनांक 4 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. 576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर//2017/खण्ड-1 एतद्द्वारा इस अनुरोध के साथ अग्रषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और उसकी एक प्रतिलिपि रिकार्ड हेतु आयोग को भेजी जाए। यह भी नोट किया जाए कि, इस अधिसूचना के द्वारा एग्जिट पोल के प्रतिबंध की अवधि 9 मार्च, 2017 को अपराह्न 5.30 तक विस्तारित कर दी गई है।

इस सूचना को न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसों, रेडियो ओर टी.वी चैनलों इत्यादि सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और इसे यथाशीघ्र प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाए। इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाए।

**भवदीय,**

**(एन.टी.भूटिया)**
**अवर सचिव**

राज्यों के शासकीय राजपत्रों
में तत्काल प्रकाशनार्थ

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं. 576/एक्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/2017/खंड-I दिनांक: 04 मार्च, 2017

# अधिसूचना

यत: आयोग ने दिनांक 04 जनवरी, 2017 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रेनो/1/2017 के द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, और गोवा की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की थी; और

**2.** यत:, लोक प्रतिनि धित्व अधिनियम **1951** की धारा **126**क के प्रावधानों के अनुसार, इस अवधि के दौरान कोई एग्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रचारित करना, आयोग द्वारा इस संबंध में यथा अधिसूचित अवधि तक प्रतिबन्धित है;

**3.** यत:, लोक प्रतिनि धित्व अधिनियम **1951** की धारा **126**क के प्रावधानों के अनुसार, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 576/एक्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/2017/खंड-I, दिनांक **27.01.2017** के द्वारा ऐसी अवधि को अधिसूचित किया जिसके दौरान उक्त निर्वाचनों के संबंध में कोई एग्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना प्रतिबन्धित होगा; और

**4.** यत:, इसी बीच, लोक प्रतिनि धित्व अधिनियम **1951** की धारा **52** के अधीन उत्तराखण्ड की **06**-कर्णप्रयाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तथा उत्तर प्रदेश की **279**-आलापुर **(**अ.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मतदान स्थगित कर दिया गया है; और

**5.** यत:,आयोग ने दिनांक **13** फरवरी, **2017** की अपनी दोनों अधिसूचना सं. **492**/ईसीआई/प्रादे./उत्तर-**2**/उत्तराखण्ड-वि.स./**2017** और **492**/उ.प्र.-वि.स./**2017** के द्वारा उत्तराखण्ड की **06**-कर्णप्रयाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तथा उत्तर प्रदेश की **279**-आलापुर **(**अ.जा.**)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मतदान की नई तारीख **09** मार्च, **2017 (**गुरुवार**)** निर्धारित की है।

**6.** अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **126**क की उप धारा **(1)** के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग, उक्त धारा की उप-धारा **(2)** के उपबंधों के दृष्टिगत तथा ऊपर उल्लिखित दिनांक **22.01.2017** की अपनी अधिसूचना के अधिक्रमण में, 04.02.2017 को पूर्वाह्न **7:00** बजे से दिनांक **09.03.2017** को अपराह्न **5:30** बजे तक के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार, चाहे किसी भी एग्जिट पोल का कोई भी परिणाम हो, करने पर प्रतिबंध होगा।

**आदेश से,**

**(के. एफ. विल्फ्रेड)**
**प्रधान सचिव**